संख्या-5/5446/12-3-2013-100(27)/2013ए

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल**,**
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक**,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 28 जनवरी, 2014**

विषयः- **केन्द्र पोषित पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी एवं प्रबंधन की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष** 2013-14 **हेतु रू**0-18080 **हजार की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-अभि./281/लेखा/पो.हार्वे./2013-14, दिनांक 9.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्र पोषित पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी एवं प्रबंधन की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रू0-18080 हजार (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा निम्न शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः-

(1)- उक्त योजनान्तर्गत क्रय की जाने वाली मशीनरी/उपकरण/संयंत्र के क्रय में भारत सरकार की गाइड लाइन्स व शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(2)- क्रय की जा रही मशीनों/उपकरणों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब क्रय की जा रही वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक व विशिष्टयों के अनुरूप हो।

(3)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी नहीं होगी तथा क्रय के लिए पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- क्रय की जा रही वस्तु की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता के पक्ष में एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा शासन के प्रचलित आदेशों से भुगतान करने के लिए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक या पी.एल.ए. में नही रखी जायेगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा तथा इंगित मशीन/उपकरण क्रय करने के बाद अवशेष बची धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

(6)- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के लिए आवश्यकता का सम्यक् पूर्वानुमान कर लिया गया है तथा आवश्यकता से अधिक परिणाम में क्रय नही किया जायेगा।

(7)- उपर्युक्त शर्तो एवं नियमों का उल्लघंन होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार एवं अन्य संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय। उपर्युक्त तालिका पर अंकित योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

4- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के

http://shasanadesh.up.nic.in

एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195 /दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

10- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक के अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-113-कृषि इंजीनियरी-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें -0103-पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी एवं प्रबंधन की योजना (100 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता) के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-8/दस-2014, दिनांक 16 जनवरी, 2014 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

संयुक्त सचिव।

सं**0-5446(1)/12-3-2013-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- अनु सचिव, (एम. एण्ड टी.,आई.एण्ड पी..) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

6- संबंधित कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कैसरबाग, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) कृषि भवन, लखनऊ।

9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http/shasanadesh.up.nic.in